

Court of A.C.J.M., Ist. Biraul

Biraul P.S.- 352/17

G.R.- 692/17

04.06.2020

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप-पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 34 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त दिलीप मुखिया एवं चार अन्य जिनका नाम आरोप पत्र की कंडिका 11 (i) में अंकित है, के विरुद्ध समर्पित किया है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, वाद-दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त दिलीप मुखिया एवं चार अन्य के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 34 के अंतर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है।

तदनुसार आरोप-पत्रित अभियुक्त **1. दिलीप मुखिया 2. मंगल मुखिया 3. मीरा देवी 4. प्रमीला देवी एवं रीना देवी** के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा **341, 323, 354, 34** के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत विचारण एवं निष्पादन हेतु अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ के न्यायालय में भेजा जाता है।

दिनांक 17. 08. 2020 वास्ते उपस्थिति।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम।